न्यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :—रत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0:—35 / 2026

1. गुडी देवी पत्नी बनवारीलाल जाति जाट निवासी चाहूवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ। प्रार्थीया

बनाम्

1. मंगतराम पुत्र हरीराम
2. अनिल कुमार पुत्र मनीराम
3. जसवीरसिह पुत्र मनीराम
4. पंकज पुत्र जयलाल

जाति जाट निवासीयान चाहूवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

5. तहसीलदार राजस्व टिब्बी ।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए

उपस्थितिः— महावीर वर्मा अधिवक्ता प्रार्थी
करनैल सिंह अधिवक्ता अप्रार्थी

निर्णय दिनांक 30/1/26

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया के नाम से चकनं० 1 बी. आर. एन के प०न० 222 / 383 मु० 16 किलानं0 19,20,21,22 व प०न० 222 / 384 मु० 17 किलानं0 1,2,9,10 व अप्रार्थी संव 1 के नाम से चक नं0 1 बी. आर. एन. के प0न0 222 / 383 मु0 16 किलानं0 2 / 2 / 018 है0, 9 / 1 / .001, 10 / 2 / 018 है0 व अप्रार्थी सं0 2 व 3 की संयुक्त खाता की कृषि भूमि चक 2 बी.आर.एन. के प0न0 221 / 383 मु0 21 किलानं0 6,15 दर्ज राजस्व रिकार्ड है। नकल जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र है जो कि प्रार्थना पत्र का आधार है। प्रार्थीया की आराजी चक 1 बी. आर. एन. में स्थित है । चक नं० 1 बी. आर. एन व चक 2 बी.आर.एन. दोनो ही चक आपस में चिपते हुए है। प्रार्थीया को अपनी आराजी में आवागमन के लिए कोई स्वीकृत शुदा रास्ता नही है। प्रार्थीया अपनी कृषि भूमि में आवागमन के लिए चक 1 बी. आर. एन के प0न0 222 / 383 किलानं0 2,9,10, तथा चक नं0, 2 बी.आर.एन. के प0न0 221 / 383 किंलानं0 6 व 15 में से होकर अपनी भूमि किलानं0 20 में प्रवेश करती है उक्त रास्ता मौका पर चालू है व इसके अलावा प्रार्थीया के पास अपनी आराजी में आवागमन के लिए कोई चालू रास्ता नही है। इसलिए प्रार्थीया. चक नं० 1 बी. आर. एन. के प0न0 222 / 383 मु० 16 किलानं0 2 मे पश्चिम दिशा में .018 है० उतर से दक्षिण, किलानं0 9 में .001 है, उतरी पश्चिमी कॉर्नर, किलानं0 10 में उतरी दिशां में रू018 है0 पूर्व से पश्चिम की ओर व चक नं० 2 बी. आर. एन. के प०न० 221 / 383 मु0 21 किलानं0 6 व 15 की पूर्वी दिशा में .018 प्रत्येक किला में व किलानं0 16 के उतरी पूर्वी कोना 001 है० रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत करवाकर गै०मु० रास्ता का अंकन करवाना चाहती है। रास्ता की भूमि के बदले में प्रार्थीया अप्रार्थीगण को डी. एल. सी. रेट के अनुसार राशि देने के लिए तैयार है। प्रार्थीया ने अप्रार्थीगण को कई दफा निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की दफा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में रास्ता स्वीकृत करवा देवे तो अप्रार्थीगण पहले तो टाल मटोल करते रहे व आज से दो रोज पूर्व ग्राम चाहूवाली में कतई इन्कार हो गये। बस यही बिनाय प्रार्थना पत्र है ।

सहायक कलक्टर टिब्बी

कि. प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र रास्ता स्वीकृति का है जो पूर्ण कोर्टफीस पर तहरीर है जो काबिल समायत अदालत हाजा के है। लिहाजा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि चक नं० 1 बी.आर.एन. के प०न० 222/383 मु० 16 किलानं० 2 मे पश्चिम दिशा में.018 है० उतर से दक्षिण, किलानं० 9 में .001 है. उत्तरी पश्चिमी कॉर्नर, किलानं० 10 में उतरी दिशा में .018 है० पूर्व से पश्चिम की ओर व चक नं० 2 बी. आर. एन. के प०न० 221/383 मु० 21 किलानं० 6 व 15 की पूर्वी दिशा में .018 प्रत्येक किला में व किलानं० 16 के उतरी पूर्वी कोना 001 है० रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में गै०मु० रास्ता का अंकन किया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन/नोटिस तलब किया गया अप्रार्थीगण की ओर जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र की दफा 1 पक्षकारान के पते से सम्बन्धित है जो स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की दफा 2 में प्रार्थीया के नाम से चकनं० 1 बी. आर. एन के प०न० 222/383 मु० 16 किलानं० 19, 20, 21, 22 व प०न० 222/384 मु० 17 किलानं० 1,2,9,10 व अप्रार्थी सं० 1 के नाम से चक नं० 1 बी. आर. एन. के प०न० 222/383 मु० 16 किलानं० 2/2/.018 है०, 9/1/.001, 10/2/.018 है० व अप्रार्थी सं० 2 व 3 की संयुक्त खाता की कृषि भूमि चक 2 बी. आर. एन. के प०न० 221/383 मु० 21 किलानं० 6, 15 दर्ज राजस्व रिकार्ड होना स्वीकार है । प्रार्थना पत्र की दफा 3 में दर्ज तथ्य स्वीकार है। प्रार्थीया की आराजी चक 1 बी.आर.एन. में स्थित है । चक नं० 1 बी. आर. एन व चक्र 2 बी. आर. एन. दोनो ही चक आपस में चिपते हुए है। प्रार्थीया को अपनी आराजी में आवागमन के लिए कोई स्वीकृत शुदा रास्ता नही है । प्रार्थीया अपनी कृषि भूमि में आवागमन के लिए चक 1 बी. आर. एन में के 1 के प०न० 222/383 किलानं० 2,9,10, तथा चक नं० 2 बी.आर.एन. के प०न० 221/383 किलानं० 6 व 15 में से होकर अपनी भूमि किलानं० 20 में प्रवेश करती है उक्त रास्ता मौका पर चालू है इसलिए चक नं० 1 बी. आर. एन. के प०न० 222/383 मु० 16 किलानं० 2 मे पश्चिम दिशा में .018 है० उतर से दक्षिण, किलानं० 9 में .001 है. उतरी पश्चिमी कॉर्नर, किलानं० 10 में उतरी दिशा में .018 है० पूर्व से पश्चिम की ओर व चक नं० 2 बी.आर. एन. के प०न० 221/383 मु० 21 किलानं० 6 व 15 की पूर्वी दिशा में .018 प्रत्येकं किला में व किलानं० 16 के उतरी पूर्वी कोना 001 है० रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत कर गै०मु० रास्ता का अंकन किया जाता है तो हम अप्रार्थीगण को कोई उज्र व एतराज नही है। इसी अनुसार हमारा आपस में राजीनामा हो गया है रास्ता के बदले में हम अप्रार्थीगण ने प्रार्थीया से प्रतिकर के रुप में राशि प्राप्त कर ली है। प्रार्थना पत्र की दफा 4 लाइल्मी दर्ज की गई है। प्रार्थना पत्र की दफा 5 कानूनी है। लिहाजा जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि चक नं० 1 बी. आर. एन. के प०न० 222/383 मु० 16 किलानं० 2 मे पश्चिम दिशा में 018 है० उतर से दक्षिण, किलानं० 9 में .001 है. उतरी पश्चिमी कॉर्नर, किलानं० 10 में उतरी दिशा में .018 है० पूर्व से पश्चिम की ओर व चक नं० 2 बी. आर. एन. के प०न० 221/383 मु० 21 किलानं० 6 व 15 की पूर्वी दिशा में .018 प्रत्येक किला में व किलानं० 16 के उतरी पूर्वी कोना .001 है० रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में गै०मु० रास्ता का अंकन किया जाता है तो हम अप्रार्थीगण को कोई उज्र व एतराज नही है। तहसीलदार राजस्व रिपोर्ट प्राप्त की गयी, मुताबिक रिपोर्ट प्रार्थी एंव अप्रार्थी आवेदित रकबे से ही आवागमन कर रहे है। रिपोर्ट शामिल पत्रावली किया गया।

उप खण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर टिब्बी

बहस उभयपक्ष सुनी गयी, बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी एंव अप्रार्थीगण अपनी खातेदारी कृषि भूमि से अपनी सुविधानुसार गै०मु० रास्ते का अंकन करवाना चाहते है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी मुताबिक सहमति स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए स्वीकृत किया जाकर चक नं० 1 बी. आर. एन. के प०न० 222/383 मु०

16 किलानं0 2 मे पश्चिम दिशा में .018 है0 उत्तर से दक्षिण, किलानं0 9 में .001 है. उतरी पश्चिमी कॉर्नर, किलानं0 10 में उतरी दिशा में .018 है0 पूर्व से पश्चिम की ओर व चक नं० 2 बी. आर. एन. के प०न० 221/383 मु0 21 किलानं0 6 व 15 की पूर्वी दिशा में .018 प्रत्येक किला में व किलानं0 16 के उतरी पूर्वी कोना .001 है० रास्ता स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उक्तानुसार राजस्व रिकोर्ड में ने0मु0 रास्ते का अंकन करे।

(सत्यनारायण, R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।